

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री रविशंकर सिंह "पप्पू भैया" मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1413/नौ-7-22-44(ज)/2022, दिनांक 12.09.2022 में उल्लिखित पश्चिम विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज वार्ड तृतीय के ग्राम हन्सखेड़ा, पारा जनपद-लखनऊ में 700 मीटर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ?	जी, हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से ऐसी कालोनियों में निर्माण कार्य कराया जाता है ?	पश्चिम विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज वार्ड तृतीय के ग्राम हन्सखेड़ा, पारा जनपद-लखनऊ की प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर/सोसाइटी द्वारा अनियोजित ढंग से बसाई गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों के विकास का प्रथम दायित्व सम्बन्धित कालोनाइजर/सोसाइटी का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से ऐसी कालोनियों में जनसुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया जाता है।
(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर सड़क व नाली निर्माण हेतु विभागीय दरों पर आंगणन तैयार कराया गया है ?	जी, हाँ। प्रश्नगत स्थल पर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य हेतु विभागीय दर पर आंगणन तैयार किया गया है।
(घ) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि का है ?	प्रश्नगत कार्य पर ₹0 1,09,04,999.00 व्यय होने का अनुमान है।
(ङ.) यदि नहीं, तो उक्त निर्माण कार्यों को नगर निगम द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?	प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

ए. के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग।

